ऋण का 25.5% बनता है । राज्य वित्तीय निगम मुख्य राज्य स्तरीय संस्थापन हैं जो लघु तथा कुटीर उद्योगों को सहायता मुहैया करते है । वर्ष 1993–94 के दौरान, इन निगमों द्वारा लघु तथा कुटीर क्षेत्र को 1525 करोड़ रु० मंजूर किये गये थे ।

(ङ) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक की दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासित की जाती हैं । कर्ज लेने वालों पर लागू ब्याज की दर ऋण की मात्रा के अनुसार अलग-अलग होती है । इस समय तीन स्लैब हैं। 2 लाख तक के ऋण पर ब्याज दर 2 लाख से अधिक कर्ज की राशि पर प्रभारित किये जाने वाले ब्याज दर से कम होती हैं । 18 अक्तूबर, 1994 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित ब्याज की दरों के विवरण इस प्रकार हैं :—

	ब्याज दर (वार्षिक%) कार्यशील पूंजी के लिए सावधिक कर्ज पर	
1. 25,000 रु० तक	12.0	12.0
2. 25,000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	13.5	13.5
3. 2 लाख रु०से अधिक	प्राथमिक ऋण-दाताओं द्वारा निश्चित किया जाता है ।	

अनियत श्रमिकों को नियमित करना

1563. श्री आस मोहम्मद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी किस्म के कार्यों में अनियत श्रमिकों को नियुक्त न किए जाने के उसके निर्देश के बावजूद कुछ उपक्रमों ने स्थायी किस्म के कार्यों में अनियत श्रमिकों को नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की उपक्रम वार संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) इस प्रकार की नियुक्तियों को किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनियत कर्मचारियों की नियुक्तियाँ उनके अपने क्षेत्राधिकार के प्रबन्ध द्वारा की जाती हैं सरकार के पास ऐसी नियुक्तियों की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Industries in Punjab

1564. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what was the total number of small scale and medium scale industries in the country, particularly in the State of Punjab as on 31st December, 1994;

(b) what is the number of industries declared sick by Government of Punjab;

(c) what steps Government propose to revive these sick industries in the State of Punjab; and

(d) what is the total amount sanctioned as central loan assistance to the Government of Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) There is no unified source of collection of data for the number of industries in the small scale and medium scale sector. According to the Annual Survey of Industries 1990-91 (latest available information from the Central Statistical Organisation), the number of

factory units in the country which include some small industries at factory level and other than small industries was 110179. According to the office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), the number of small scale units (both registered and un-registered) estimated for that year was 19.48 lakhs.

According to the information supplied by the Punjab Government the total number of small scale and medium scale industries in the State of Punjab as on 31.12.94 is 1,86,989 and 460 respectively.

(b) There were 2434 sick units in the small scale sector in the State of Punjab as on 31.3.1994 identified by Reserve Bank of India as per their guidelines.

(c) For the revival of medium scale units, Board for Industrial and Financial Reconstruction has been created by the Government. For small scale industries, State Level Inter-Institutional Committee (SLIIC) exists. Based on Naik Committee recommendations. RBI has issued necessary guidelines to the banks for revival of sick units; these include a lower rate of interest, prompt nursing programme, setting up cells at Regional Centres and Head Office of the banks for dealing with sick industrial units.

(d) The central assistance to State Govt. in the form of block grants and block loans to finance the Annual Plans are approved by the Planning Commission and this is not related to a particular programme/scheme/sector. As such, there is no separate information of central loan assistance to the Govt. of Punjab for the revival of sick units.

विदेशी निवेश के प्रस्ताव

1565. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों के कितने निवेश प्रस्ताव अभी तक लंबित है तथा कितने लम्बित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और आज की तारीख तक उन्होंने भारत में कुल कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ख) ऐसी विदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है जो अपनी ओर से शत-प्रतिशत पूंजी निवेश करने में रूचि रखती हैं ; और

(ग) विदेशी कम्पनियों को भारत की स्थानीय कम्पनियों के मुकाबले कौन-कौन से कर संबंधी लाभ उपलब्ध कराये जाते है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नई नीति के बाद की अवधि अर्थात् 1-8-91 से 31-1-95 तक के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 2837 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं जिनमें 27905.94 करोड़ रु० का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निहित है (इसमें यूरो इयून के जरिये जुटाए जाने वाले 5230.44 करोड़ रु० भी शामिल हैं।

प्रस्तावों को प्राप्त करना और इन पर विचार करना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत में शत-प्रतिशत पूंजीगत निवेश करने के लिए विदेशी कम्पनियों से 130 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) विदेशी कंपनियों पर घरेलू कंपनियों की तुलना में कर की दर अपेक्षाकृत अधिक है। किन्तु, रायल्टी और तकनीकी शुल्क प्राप्त करने वाली विदेशी